मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 055/2023

1. वेदप्रकाश पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी बाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1. रजनीश पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी बाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

– – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49 आर.टी.ए. बावत घोषणा एवं विनिमय

निर्णय

दिनांक :– 30.4.2024

वादी की ओर से श्री रायसिंह भाखर अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री विजय पारीक की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.4.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित

(क) वादी वेदप्रकाश को प्राप्त कृषि भूमि :– चक नम्बर 8 ए.जी. के पत्थर नम्बर 221/361(22) किला नम्बर 1/1/0.190, 2/0.253, 9/0.127 उतरी दिशा, 10/1/0.095 उतरी दिशा, पत्थर नम्बर 2[illegible]1) किला नम्बर 16, 17, 21/1/0.190, 22 ता 25 कुल 2.373 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 रजनीश को प्राप्त कृषि भूमि :– चक नम्बर 8 ए.जी. के पत्थर नम्बर 221/361(22) किला नम्बर 6/0.126 [illegible]ण दिशा, 7/0.126 दक्षिण दिशा, 8/0.097, 13 ता 18, 24, 25 कुल 2.373 हैक्टर।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:22:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 8 ए.जी. के खाता संख्या 61/49 में से वादी का हिस्सा कम व चक नम्बर 8 ए.जी. के खाता संख्या 51/40 में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें व किसी प्रकार की राजस्व हानि होती है तो नियमानुसार पंजीयन/स्टाम्प शुल्क पेश करने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 30.4.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प		[illegible]	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		[illegible] स्टाम्प	--
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		[illegible] की फीस	--
रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों [illegible]ये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		
योग	--	योग	--

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:22:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner